उत्तराखंड कैबिनेट ने 'UCC ड्राफ्ट रिपोर्ट' को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों?

4 फरवरी 2024 को राज्य कैबिनेट द्वारा UCC पैनल की मसौदा रिपोर्ट को मंज़ूरी देने के बाद, उत्तराखंड ने स्वतंत्रता के बाद [समान नागरिक संहिता (UCC](https://www.drishtiias.com)) को लागू करने वाला पहला राज्य बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में पेश की जाएगी, क्योंकि **70 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ दल के पास 47 सीटें** हैं, जिससे UCC विधेयक पास होने की संभावना अधिक हो जाती है।
- **समान नागरिक संहिता** कानूनों का एक समूह है जो सभी **धर्मों और जनजातियों के पारंपरिक कानूनों का स्थान लेगा तथा विवाह, तलाक, विरासत एवं उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों** को नियंत्रित करेगा।
- भारत के संविधान के अनुसार UCC **राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों** का एक हिस्सा है।
- वर्ष 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में **13.9% मुस्लिम आबादी** है, जिसके अधिकांश लोग **तराई क्षेत्र** में रहते हैं।

समान नागरिक संहिता

- **समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये** विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है।
- संविधान के **अनुच्छेद 44** में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक **समान नागरिक संहिता** सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
  - अनुच्छेद-44, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक **तत्त्वों में से एक है।**
  - अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित "धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" की अवधारणा को मज़बूत करना है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-cabinet-approves-ucc-draft-report